प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनाँक- 09.12.2025**

एसओजी टीम, थाना साइबर क्राइम व थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 15,000 रुपये के 01 ईनामिया साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार।

लोगों से सरकारी आवास दिलाने व अश्लील फिल्म देखने का अपराध कारित करने की धमकी देकर पैसा हडपता था अभियुक्त।

अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 03 एटीएम कार्ड, 06 आधार कार्ड, 06 सिम कार्ड रैपर, 01 पैन कार्ड व 01 निर्वाचन कार्ड़ बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र दयाशंकर निवासी वार्ड नं0 07 कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.09.2025 को वीरेन्द्र कुमार पुत्र कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर कंचौसी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात व उसके अन्य 04 साथी अखिलेश सिंह, देवेन्द्र प्रताप, अनुज सिंह व मदरेश सिंह द्वारा विभिन्न लोगों के साथ फ्रॉड किये हुए रूपयों को आवेदक के साईबर कैफे पर यूपीआई के माध्यम से डालकर नगद ले लिये। कुछ दिन पश्चात् जब आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार यादव का खाता ब्लॉक/फ्रीज हो गया तो उन्हें जानकारी हुई कि उनके खाते में धोखाधड़ी का रूपया आया है, जिसके आधार पर उनका खाता बन्द कर दिया गया है। आवेदक द्वारा दी गयी लिखित शिकायत पर जाँच करते हुए थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा 318(4)/308(5)/351(2)(3) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें पूर्व में अभियुक्तगण 1. अखिलेश सिंह चौहान 2. अनुज सिंह 3. देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गौरे 4. मदरेश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तभी से अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर कंचौसी थाना मंगलपुर कानपुर देहात फरार चल रहा था। दिनांक 08.12.2025 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर एसओजी टीम, थाना साइबर क्राइम व थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में 15,000 रुपये के वाँछित ईनामिया अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर कंचौसी थाना मंगलपुर कानपुर देहात को अपराध कारित करने वाली सामग्री 01 मोबाइल VIVO कम्पनी रंग काला, 01 मोबाइल VIVO कम्पनी रंग सिल्वर, 03 ATM CARD, 01 निर्वाचन कार्ड, 01 पैन कार्ड, 06 आधार कार्ड, 06 सिम कार्ड रैपर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर कंचौसी थाना मंगलपुर कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र स्व0 कुंवर सिंह निवासी बलरामपुर कंचौसी थाना मंगलपुर कानपुर देहात ने पूछताछ पर बताया कि मैं ग्राहक को अपने सहयोगी मानसिंह निवासी दुर्गापुरवा, नरायानपुरवा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के कहे अनुसार बात करके फंसाता हूँ और मानसिंह को पैसे लेकर आवास आवंटित करने काम का दे देता हूं जो ग्राहक से बात करता है और वह आवास आवंटित करने के नाम पर पैसे लेकर अपने जाल में फंसा लेता है तथा विभिन्न खातों में पैसा डलवाता है और मैं व मेरे साथी देवेन्द्र प्रताप सिंह, मदरेश, अनुज सिंह व अखिलेश के साथ मिलकर लोगों को सरकारी आवास का झांसा देकर व अश्लील फिल्म देखने की धमकी देकर धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने का कार्य करते हैं तथा मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं तथा प्री-एक्टिवेटिड सिम खरीदकर और बदल-बदल कर हम लोग प्रयोग करते हैं तथा कुछ सिमों को फेंक देते है तथा डिवाइस बदल देते है। अभियुक्त मानसिंह के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 322/2022 धारा 352/363/366/504 आईपीसी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- मु0अ0सं0 236/2023 धारा 323/325/504 आईपीसी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
- मु0अ0सं0 267/2025 धारा 115(2)/126(2)/3(5)/324(4) बीएनएस थाना मंगलपुर का0दे0।
- मु0अ0सं0 275/2025 धारा 115(2)/126(2)/131/3(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर का0दे0।
- मु0अ0सं0 09/2025 धारा 318(4)/308(5)/351(2)(3) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना साईबर क्राईम जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोबाइल VIVO कम्पनी रंग काला।
2. 01 मोबाइल VIVO कम्पनी रंग सिल्वर।
3. 03 ATM CARD (NSDL PAYMENT BANK, FINO PAYMENTS BANK, BARODA UP BANK)
4. 01 निर्वाचन कार्ड
5. 01 पैन कार्ड
6. 06 आधार कार्ड
7. 06 सिम कार्ड रैपर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम -

एसओजी टीम, थाना साइबर क्राइम व थाना अकबरपुर पुलिस